राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 19/03/2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 168वीं बैठक दिनांक 18/03/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 168वीं बैठक दिनांक 18/03/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्याकंन समिति, छत्तीसगढ़ की 510वीं एवं 511वीं बैठक क्रमशः दिनांक 30/01/2024 एवं 31/01/2024 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स जावंगा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री टी. रमेश), ग्राम–जावंगा, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2941)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 454721 एवं 14/02/2023	

खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.4 हेक्टेयर एवं 76,751.95 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	287	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30 /01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रंजित कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 287 क्षेत्रफल – 1.40 हेक्टेयर क्षमता – 76,753 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 24/07/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2033 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 24/01/2024 वर्ष 2017–18 में 3,105.15 टन वर्ष 2018–19 में 72,432.31 टन वर्ष 2019–20 में 76,078.62 टन वर्ष 2020–21 में 74,328.00 टन वर्ष 2021–22 में 74,572.50 टन वर्ष 2022–23 में 75,306.00 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत जावंगा दिनांक 15/12/2001	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 11/08/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 08/12/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 08/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 145 मीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान में लीज धारक – श्री टी. रमेश अवधि – 01/04/2013 से 31/03/2033	पूर्व में लीज धारक – श्री विनय कुमार गुप्ता लीज डीड हस्तांतरण – दिनांक 20/07/2017
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 19/03/2002	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी

		अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – जवांगा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – जवांगा 1 कि.मी. अस्पताल – जवांगा 1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 145 मीटर राज्यमार्ग – 5 कि.मी.	डंकिनी नदी 5.3 कि.मी. तालाब 300 मीटर रोड ब्रिज 900 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 8,74,727 टन माईनेबल 3,95,527 टन रिकव्हरेबल 3,75,560 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 6 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 76,749.3 टन द्वितीय 76,751.95 टन तृतीय 76,749.3 टन चतुर्थ 76,749.3 टन पंचम 76,749.3 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,315 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,000 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,72,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking)	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध

	प्रस्तुत किया गया है। 2. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 1.4 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29.9	2%	0.59	Following activities at Nearby Govt middle School, Village- Javanga	
			Plantation	0.59
			Total	**0.59**

सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव कार्य हेतु राशि 6,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुयार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. मेसर्स जावंगा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री टी. रमेश) को ग्राम–जावंगा, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा के खसरा क्रमांक 287 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर, क्षमता–76,751 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स जावंगा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री टी. रमेश) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. आवेदित खदान में उत्खनन कार्य हेतु अद्यतन स्थिति में वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स टिपरूंग ब्रिक अर्थ क्ले क्वारी, (प्रो.– श्री चन्द्रहास साहू), ग्राम–टिपरूंग, तहसील–कसडोल, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2954)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 455563 एवं 15/12/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.09 हेक्टेयर एवं 2,876.56 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	7/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि श्री चन्द्रहास साहू के नाम पर है।	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि (**क्षमता 1,437.1 घनमीटर के स्थान पर क्षमता 2,876.56 घनमीटर**) होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण से ऑनलाईन आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति** की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स छाटा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती रीता सिंह), ग्राम–छाटा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2969)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by

SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 456199 एवं 22/12/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.65 हेक्टेयर एवं 20,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 16	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश चंद्र सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 16 क्षेत्रफल – 1.65 हेक्टेयर क्षमता –20,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 21/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दुर्ग पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/11/2031 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 28/12/2023 वर्ष 2016–17 में 2,747 टन वर्ष 2017–18 में 2,400 टन वर्ष 2018–19 में 11,951 टन वर्ष 2019–20 में 3,013 टन वर्ष 2020–21 में 17,980 टन वर्ष 2021–22 में 15,500 टन वर्ष 2022–23 में 3,000 टन	पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई है, खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वर्ष 2016–17 में 2,747 टन उत्खनन किया गया है। अतः विगत वर्ष 2016–17 में किये गये उत्पादन की माहवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत छाटा दिनांक 03/11/2010	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 22/12/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 28/12/2023	65 खदानें, रकबा 145.473 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 28/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं

लीज डीड	लीज धारक – श्रीमती रीता सिंह अवधि – दिनांक 19/11/2001 से 18/11/2031 तक।	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 16(पार्ट) के समीपस्थ दूरी पर ग्राम गोड़पेन्ड्री के खसरा क्रमांक 363, 364/2, 365/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372 एवं 373 के कुल रकबा 1.97 हेक्टेयर से वन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग, वन मण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 24/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वन क्षेत्र से दूरी – 50 कि.मी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – छाटा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – सेलूद 4.4 कि.मी. अस्पताल – सेलूद 4.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 13 कि.मी. राज्यमार्ग – 1 कि.मी.	महानदी – 12.5 कि.मी. सेलूद नहर–400 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 6,98,000 टन माईनेबल 2,82,125 टन रिकव्हरेबल 2,68,019 टन प्रस्तावित गहराई 19 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 17 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 1,783 टन द्वितीय 6,058 टन तृतीय 8,550 टन चतुर्थ 12,826 टन पंचम 13,538 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,830 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं।
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – टैंकर	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

वृक्षारोपण कार्य	1,695 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,70,700 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 147.123 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक,

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन की जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the month wise previous year from 2016-17 production detail from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के

लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन की जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स बी.एम.एस. प्रोजेक्ट (अचानकपुर लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर–श्री मनीष सोमानी), ग्राम–अचानकपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2989)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 444802 एवं 07/10/2023	

खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.849 हेक्टेयर एवं 14,955 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 425	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुनील ठाकुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 425 क्षेत्रफल – 0.849 हेक्टेयर क्षमता –14,955 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 21/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दुर्ग पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02/09/2039 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 12/12/2023 वर्ष 2018–19 में 5,448 टन वर्ष 2019–20 में 2,680 टन वर्ष 2020–21 में 1,066 टन वर्ष 2021–22 में 7,800 टन वर्ष 2022–23 में 3,900 टन वर्ष 2023–24 (सितम्बर 2023) में 650 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत अचानकपुर दिनांक 27/05/2009	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन		क्वारी प्लान का कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
500 मीटर	दिनांक 12/12/2023	65 खदानें, रकबा 146.274 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्री मनीष सोमानी अवधि–03/09/2009 से 02/09/2039	पूर्व लीज धारक– श्री राजकुमार साहू लीज हस्तांतरण – दिनांक 11/06/2020

वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 425(पार्ट) के समीपस्थ दूरी पर ग्राम गोंडपेन्ड्री के खसरा क्रमांक 363, 364/2, 365/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372 एवं 373 के कुल रकबा 1.97 हेक्टेयर से वन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग, वन मण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 24/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वन क्षेत्र से दूरी – 50 कि.मी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – अचानकपुर 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – अचानकपुर 1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 11.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 1.5 कि.मी.	तालाब 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 2,06,133 टन माईनेबल 40,508 टन रिकव्हरेबल 40,508 टन प्रस्तावित गहराई 14 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 4 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 14,955 टन द्वितीय 14,955 टन तृतीय 10,000 टन चतुर्थ 4,965 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,710 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 930 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 930 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1,288 वर्गमीटर उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किया जाएगा।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,259 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,36,980 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 147.123 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन की जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the covering letter of mining plan approval (with issue date).

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E)

dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श** उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये

जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन की जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स बजरंग बली क्रशर (पार्टनर– श्री दीपक अग्रवाल, अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2978)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 456808 एवं 27/12/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.62 हेक्टेयर एवं 85,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	645 एवं 646	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि	संलग्न है।

	खसरा क्रमांक 645, 646 श्री बजरंग बली क्रशर	
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सूरज खेतान, पार्टनर उपस्थित हुये। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक –645 एवं 646 क्षेत्रफल – 3.62 हेक्टेयर क्षमता – 85,000 दिनांक – 26/02/2018 वैधता अवधि – 5 वर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– रायपुर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25/02/2024 तक वैध है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 750 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन		विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनसुली दिनांक 12/07/2014	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/12/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	87 खदानें, रकबा 177.926 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 200 मीटर के भीतर सड़क एवं नाली स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक– मेसर्स बजरंग बली क्रशर अवधि – दिनांक 27/03/2018 से 26/03/2048 तक	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम अकोलडीह खपरी के खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673 के कुल रकबा 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022 मोहरेंगा नेचर सफारी से आकाशीय दूरी – 18 कि.मी. बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

	आकाशीय दूरी – 66 कि.मी. एवं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की आकाशीय दूरी – 282 कि.मी. है।	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–अकोलडीह खपरी 1.5 कि.मी. अस्पताल रायपुर 4.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 6.7 कि.मी. राज्यमार्ग – 4.9 कि.मी.	खारून नदी 19.45 कि.मी. तालाब – 1 कि.मी. नहर – 1.5 कि.मी. नाला – 1.20 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 26,24,500 टन माईनेबल 11,64,695 टन रिकव्हरेबल 11,06,461 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 84,978 टन द्वितीय 84,987 टन तृतीय 85,000 टन चतुर्थ 84,896 टन पंचम 84,966 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 6,493 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – रास्ते से सुरक्षित दूरी 50 मीटर छोड़ने के कारण।	संलग्न है।
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.25 मीटर मात्रा – 1,221.75 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 1,221.75 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।	मोटाई – 0.75 मीटर मात्रा – 3,665.25 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	7.5 मीटर माईन बाउंड्री में 1,290 नग एवं गैर माईनिंग क्षेत्र (4,200 वर्गमीटर) में 467 नग, इस प्रकार कुल 1,757 नग वृक्षारोपण किया जाना है।	वर्तमान वृक्षारोपण – 700 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 1,057 नग

श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 181.546 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स श्री मां महासर लाईम स्टोन (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 434164/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर, 2023 से प्रारंभ किया गया है। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी की जा रही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई. ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती कावित्री देवी तिर्की), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2631)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 439225 एवं 04/08/2023 ई.डी.एस. – 14/08/2023 जानकारी प्राप्ति – 03/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.176 हेक्टेयर एवं 15,069 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	196/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 196/2 आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री प्रदीप कुमार यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चंगोरी दिनांक 25/01/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 21/07/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	28 खदानें, क्षेत्रफल 30.375 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 50 मीटर की दूरी में नाला स्थित है।

एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक – श्रीमती कावित्री देवी तिर्की दिनांक – 21/02/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सरगुजा वन मण्डल, अम्बिकापुर द्वारा जारी दिनांक 13/11/2020	वन क्षेत्र से दूरी – 3 कि.मी. 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान /वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – चंगोरी 700 मीटर स्कूल ग्राम – चंगोरी 2.7 कि.मी. अस्पताल – अम्बिकापुर 22.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 6.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 10.9 कि.मी.	तालाब – 1.55 कि.मी. रिजर्वायर – 15 कि.मी. गागर नदी – 370 मीटर नाला – 50 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स** – जियोलॉजिकल 1,93,375 टन माईनेबल 1,06,687 टन रिकव्हरेबल 1,01,353 टन प्रस्तावित गहराई 10 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 15,058 टन द्वितीय 15,039 टन तृतीय 15,005 टन चतुर्थ 15,020 टन पंचम 15,069 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,160 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.20 मीटर मात्रा – 886 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना** – 450 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 130 वर्गमीटर खुदे हुए क्षेत्र को बैकफिल किया जाएगा। शेष 436 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।	ओव्हर बर्डन मोटाई – 0.80 मीटर मात्रा – 3,544 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** – आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को कॉन्सेप्चुअल स्टेज में खदान के पुनःभराव हेतु लीज क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 624 नग किया जाना है।	संलग्न है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 31.551 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 06 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all

along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. **मेसर्स पुटपुरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री उमेश बर्मन), ग्राम–पुटपुरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2742)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 446404 एवं 03/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 89,820 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–1/1(पार्ट) एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पुटपुरा दिनांक 31/10/2017	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 26/10/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 26/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 26/10/2023	2 खदानें, क्षेत्रफल 16.99 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री उमेश कुमार बर्मन दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पुटपुरा 1.25 कि.मी., स्कूल ग्राम– पुटपुरा 1.5 कि.मी. अस्पताल– पलारी 15.1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 13.3 कि.मी. राज्यमार्ग– 15 कि.मी.	तालाब 1 कि.मी. नाला 540 मीटर नहर 2.45 कि.मी. एनिकट 5.75 कि.मी. रोड पुल 1.70 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 740 मीटर, न्यूनतम 620 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –**	संलग्न है।

की नदी तट से दूरी	अधिकतम 274 मीटर, न्यूनतम 264 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 194 मीटर, न्यूनतम 181 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 195 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.1 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,820 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.1 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत धमनी द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1473/6, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,875 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 21.98 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

v. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.

vii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

viii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

ix. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by

Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

8. मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पदम कुमार डडसेना), ग्राम–मलपुरी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2746)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451533 एवं 06/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	10 हेक्टेयर एवं 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–502(पार्ट) एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुरारी डिडवानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मलपुरी दिनांक 25/12/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री पदम कुमार डडसेना दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।

वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार, वन मण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 29/01/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 349.83 मीटर वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा – 34 कि.मी. टाईगर रिजर्व उदंती–सीतानदी – 143 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– मलपुरी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम– जुनवानी 3.8 कि.मी. अस्पताल– पलारी 16.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 14.7 कि.मी. राज्यमार्ग– 30.4 कि.मी.	तालाब 1.15 कि.मी. नाला 590 मीटर नहर 2.8 कि.मी. एनीकट 12.2 कि.मी. रोड पुल 16.75 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1090 मीटर, न्यूनतम 947 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 534 मीटर, न्यूनतम 524 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 191 मीटर, न्यूनतम 187 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 153 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.15 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–1,80,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 10 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.15 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 2,000 नग किया जाना है। शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 499/1 का रकबा 0.8 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 22,75,875 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for river side plantation.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

vi. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vii. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.

viii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

ix. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

x. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

9. मेसर्स छेछर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री आकाश अग्रवाल), ग्राम–छेछर, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार माठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2747)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर.– 446223 एवं 06/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	10 हेक्टेयर एवं 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1 एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री आकाश अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/11/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 03/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री आकाश अग्रवाल दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 23/01/2024	वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 222 से दूरी – 7 कि.मी. वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा – 30.34 कि.मी. टाईगर रिजर्व उदंती–सीतानदी – 179.6 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–छेछर 800 मीटर स्कूल ग्राम–छेछर 880 मीटर अस्पताल–शिवरीनारायण 11.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–7.8 कि.मी. राज्यमार्ग–8.65 कि.मी.	ग्रामीण कच्चा मार्ग–840 मीटर नहर–1.1 कि.मी. तालाब–1.2 कि.मी. नाला–2.35 कि.मी. एनीकट–12.8 कि.मी. रोड पुल–3.25 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1,465 मीटर, न्यूनतम 1,350 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 640 मीटर, न्यूनतम 631 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 167 मीटर, न्यूनतम 117 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 580 मीटर, न्यूनतम 450 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.23 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–1,80,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–10 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.23 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा	

	प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर गुणा 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 2,000 नग किया जाना है। शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 173/1/क का रकबा 0.8 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 22,54,875 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 14.9 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for mining.

iv. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for river side plantation.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from

the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

vii. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.

ix. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

x. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

xi. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

10. मेसर्स विनायका आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1746)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 65904/ 2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/432126/ 2023, दिनांक 05/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 26/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पाली 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। केलो नदी 2.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- उर्दना आरक्षित वन 900 मीटर, राबो आरक्षित वन 2.3 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 2.5 कि.मी. एवं बरकाछार आरक्षित वन 3.2 कि.मी. की दूरी पर है।

- लाखा संरक्षित वन 1.7 कि.मी., खारिडुंगरी संरक्षित वन 3.8 कि.मी., दुंगापानी संरक्षित वन 4.4 कि.मी., केराडुंगरी संरक्षित वन 5.5 कि.मी., बरिला संरक्षित वन 6.3 कि.मी., पूंजीपथरा संरक्षित वन 6.5 कि.मी., चिरवानी संरक्षित वन 7.1 कि.मी., जुनवानी संरक्षित वन 7.6 कि.मी. एवं पझर संरक्षित वन 8.7 कि.मी. की दूरी पर है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area in %
1.	Plant Area	1.20	21.8
2.	Raw Material Storage yard	0.50	9.0
3.	Product Storage yard	0.40	7.2
4.	Solid Waste Storage yard	0.30	5.4
5.	Internal Roads	0.50	9.0
6.	Greenbelt Area	1.83	33.0
7.	Water Reservoir and RWH	0.10	1.8
8.	Parking Area	0.70	12.8
	Total	**5.53**	**100**

3. **भू–स्वामित्व –** भूमि मेसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर है। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री उत्तम कुमार अग्रवाल, श्री पुष्कर लाल अग्रवाल एवं श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पार्टनर हैं।

4. **रॉ–मटेरियल –**

S.No.	Raw Material		Quantity (In TPA)	Sources	Mode of Transport
1.	**DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA**				
a)	Iron ore		1,00,320	Barbil, Odisha NMDC, CG	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b)	Coal	Indian	81,510	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
		Imported	52,166	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route, Rail & Road
c)	Dolomite		3,135	Raigarh	By Road (Through Covered Trucks)
2.	**FBC Boiler (Power Generation) - 8 MW**				
a)	Indian Coal		53,460	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
	OR				
b)	Imported Coal		34,268	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road
	OR				
c)	Dolochar		18,180	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Indian Coal		44,055	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
	OR				
d)	Dolochar		18,180	In Plant	Through Covered

			Generation	Conveyors
	Imported Coal	24,863	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road

5. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Unit (Product)		Capacity
1.	DRI Plants (Sponge Iron)		2 x 95 TPD (62,700 TPA)
2.	Power Plant (electricity)	WHRB Based	6 MW (2 x 13.5 TPH)
		FBC Based	8 MW (1 x 36 TPH)

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना हेतु डीआरआई किल्न के साथ डब्ल्यु एचआरबी आधारित पॉवर प्लांट में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफबीसी बॉयलर में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सभी ट्रांसफर प्वॉइन्ट्स, क्रशिंग इकाई, आदि से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु ड्राई फॉगिंग सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। एन.ओ.एक्स (NOx) बर्नर में कमी हेतु तीन स्तरीय कम्बशन, फ्लू गैस रिसरक्युलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार डीआरआई किल्न हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 50 मीटर तथा एफबीसी बॉयलर हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 61 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity (In TPA)	Disposal
Ash from DRI Kiln	11,286	Will be given to brick manufacturers
Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
Kiln Accretion Slag	564	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Wet Scrapper Sludge	2,884	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Ash from power plant (with Indian coal + dolochar)	31,110	Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 340 घनमीटर जल प्रतिदिन [डीआरआई किल्न में 50 घनमीटर प्रतिदिन, पॉवर प्लांट में 280 घनमीटर

प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर मेकअप में 135 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर मेकअप में 101 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन में 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन} का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 340 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 25/05/2025 तक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। डीआरआई किल्न से उत्पन्न जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल की मात्रा 114 घनमीटर प्रतिदिन {पॉवर प्लांट से 106 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर ब्लोडाउन से 34 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर ब्लोडाउन से 28 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन से 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा सेनेट्री उपयोग से 8 घनमीटर प्रतिदिन} उत्पन्न होगा। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता 8 घनमीटर) की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 39,942.03 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2.4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। कन्सट्रक्शन फेज के दौरान विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के दौरान विद्युत की आपूर्ति केप्टिव प्लांट क्षमता 14 मेगावॉट (एफबीसी आधारित 8 मेगावॉट एवं डब्ल्यूएचआरबी आधारित 6 मेगावॉट) से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना से हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारो ओर 15 मीटर की मोटाई में वृक्षारोपण किया

जाएगा। समिति का मत है कि पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	22.5	52.5	60
PM_{10}	48.6	87.5	100
SO_2	11.9	26.9	80
NO_2	13.8	39.3	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.2	55.9	75
Night L_{eq}	37.1	43.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 794 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 40 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 834 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.556 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

12. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के आदेश क्रमांक व.प्रा. /प्रबंध–570/119 नवा रायपुर दिनांक 27/06/2022 के द्वारा रूपये 49 लाख (5 वर्ष में) की वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की गई है। वन्य प्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 49 लाख (5 वर्ष में)

एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आदेशित किया गया है। समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु तैयार पांच वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

13. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम–तराईमाल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान 300–400 लोग उपस्थित हुये। उपस्थित सभी जनसमुदाय द्वारा प्रस्तावित उद्योग का समर्थन किया गया है।

15. लोक सुनवाई तिथी के पूर्व लिखित रूप से 6 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है, जिसमें **निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. प्रस्तावित उद्योग से आस–पास के मतस्य कृषकों के तालाबो/केलो जलाशय क्षेत्र में दूषप्रभाव पड़ेगा।

ii. इस उद्योग द्वारा स्थानीय लोगों को काई रोजगार नहीं दिया गया है और ना किसी प्रकार का विकास कार्य में खर्च किया गया है। उद्योग से निकलने वाली प्रदुषण से खेत बर्बाद हो गया है ।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. केलो नदी 2.5 कि.मी., समिपस्थ तालाब 4.4 कि.मी. एवं गेरवानी नाला 2.5 कि.मी. की दूरी पर है प्रस्तावित स्थल से कोई नदी नाला नहीं गुजरता है।

ii. उद्योग में वायु प्रदुषण के रोकथाम के लिए एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखी जाएगी। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

समिति का मत है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,000	Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%	215	Following activities at, **Village- Pali, Chiraipani & Lakha**	

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको–पार्क निर्माण" के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिरईपानी के खसरा क्रमांक 72 क्षेत्रफल 3.407 हेक्टेयर एवं ग्राम लाखा खसरा क्रमांक 204 क्षेत्रफल 17.244 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको–पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत ढेलारी के आश्रित ग्राम पाली के खसरा क्रमांक 19 एवं 24 कुल क्षेत्रफल 6.487 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको–पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ईको–पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों

(ग्राम–चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुये प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भिन्न–भिन्न (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग से निकटतम आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं ऑरेंज एरिया की जानकारी हेतु वनमण्डल अधिकारी, रायगढ़ वन मण्डल, रायगढ़ को आवेदन किया गया है।

18. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4567/तक./2022–23 रायगढ़, दिनांक 14/07/2022 अनुसार उक्त प्रोजेक्ट क्षेत्र से निकटतम ग्राम पाली की सड़क मार्ग की दूरी 1.5 कि.मी. है।

19. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/वाचक/अ.वि. अ./2022 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट से सबसे नजदीक ग्राम पाली की वायुमार्ग से दूरी 0.512 कि.मी. एवं सड़क मार्ग से दूरी 1.5 कि.मी है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

22. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. प्रस्तावित परियोजना के तहत् कुल क्षेत्रफल का 34.16 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको–पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों (ग्राम–चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुये प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भिन्न–भिन्न (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाए।

3. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है। तृतीय, चर्तुथ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम है। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लोक सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु प्राथमिकता दिये जाने का कमिटमेंट किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,000	Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%	215	Following activities at, **Village - Chiraipani, Lakha & Pali**	
			Eco Park Development at **Chiraipani**	37.24
			Eco Park Development at	133.89

			Lakha	
			Eco Park Development at **Pali**	55.25
			Total	**226.38**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु (1) ग्राम–चिराईपानी के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,850 नग पौधों के लिए राशि 9,94,250 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,46,750 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 2,42,500 रूपये, रख–रखाव एवं अन्य आदि के लिए राशि 3,99,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 21,82,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 15,41,362.68 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–चिराईपानी में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत लाखा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 72 एवं क्षेत्रफल 3.407 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

   (2) ग्राम लाखा के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 24,463 नग पौधों के लिए राशि 50,14,915 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,90,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 12,23,150 रूपये, रख–रखाव एवं अन्य आदि के लिए राशि 6,46,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 87,74,065 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,14,667.6 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–लाखा में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत लाखा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 204 एवं क्षेत्रफल 17. 244 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

   (3) ग्राम पाली के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 9,200 नग पौधों के लिए राशि 18,86,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,56,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 4,60,000 रूपये, रख–रखाव एवं अन्य आदि के लिए राशि 3,99,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,01,250 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 20,24,212.68 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–पाली में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत ढेलारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 19, 24 एवं क्षेत्रफल 6.487 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

4. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में "that we will allocate similar budget in 4th and 5th year same as budget of 2nd and 3rd year." का उल्लेख है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 4 में "That the company has prepared Wild life conservation plan for 5 years; which is duly approved by PCCF [wildlife], Forest Department." का उल्लेख है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में "That we will prepare Wildlife conservation plan and get its

approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit." का उल्लेख है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 6 में "That whatsoever amount approved by approving authorities will be deposited in "State CAMPA" fund for Wildlife conservation." का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स विनायका आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज को ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 26/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक मेसर्स विनायका आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. उद्योग परिसर के भीतर तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

   vi. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार दिया जाए।

   vii. उद्योग परिसर के भीतर एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण में सदाबहार स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

viii. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण (End to end with proper drainage system) किया जाए।

ix. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार फ्लाई ऐश का उचित अपवहन किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

11. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426822/ 2023, दिनांक 21/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,036 टन (92,605.93 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर का दिनांक 06/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 953/ख.लि.2/स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर हैं।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई.** – एल.ओ.आई. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 800 /ख.लि.–03/2023 रायगढ़, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 88 श्री चैतराम व श्रीमती आशामोती एवं खसरा क्रमांक 115 श्रीमती मु. सिघारी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./6790 धरमजयगढ़, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 350 मीटर, वन्यजीव अभ्यारण्य से 160 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमीपाली 700 मीटर, स्कूल ग्राम–झुलनबर 1 कि.मी. एवं अस्पताल धरमजयगढ़ 4.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 330 मीटर, माण्ड नदी 1.3 कि.मी. एवं तालाब 2.4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,97,820 टन, माईनेबल रिजर्व 4,43,542 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,21,365 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,825 घनमीटर है, जिसमें से 1,367.6 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 1,457.40 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 92, रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल

का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,50,036
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	2,077
चतुर्थ	2,000
पंचम	2,039

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 771 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 77,100 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 65,000 रूपये, खाद के लिए राशि 38,550 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,20,650 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,14,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-Semipali Khurd**	
			Donation of books related to Environment Conservation & Almira	0.10
			Plantation	0.41
			Total	**0.51**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में जो वृक्ष विद्यमान है उन्हे सुरक्षित रखने एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के अन्दर एक वृक्ष महुआ, दो वृक्ष बबूल एवं कांटेदार झाड़ियां स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. कार्य के लिए प्रस्तावित स्कूल में वृक्षारोपण की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने एवं सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रपोजल अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किये जाने तथा उन रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के तहत् खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए परियोजना प्रस्तावक बाध्य रहेगा।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं उक्त प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख. लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेमीपाली) का क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेमीपाली) को मिलाकर कुल रकबा 3.543 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. लीज क्षेत्र में वृक्ष अधिक है। वृक्षों की प्रजाति का संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट) में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.52 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,50,036 टन (92,605 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2023 को संपन्न 151वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. As per proposal, project land belongs to Shri Chaitram, Smt Ashamoti and Smt Sighari Bai and copy of an agreement with respective land holders has been submitted. We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance.

2. Project proponent has submitted that Forest Land is located at a distance of 350 meters as per N.O.C. obtained from D.F.O., Dhamtari. Therefore it is viewed that distance from project land should/must be in accordance with the guidelines and rules made under F.C.A., 1980. To comply with guidelines, Project Proponent is directed to submit the proposal keeping requisite distance from the Forest Land to avoid any disturbance to flora and fauna and for Wildlife protection, along with action plan for conservation of flora and fauna.

3. Project proponent shall ensure mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc.

4. It has been submitted that 07 cubic meter water per day shall be required for the instant project and water shall be made available through borewell

and N.O.C. of C.G.W.A. has been submitted by Project Proponent. As per National Water Policy only surface water can be utilized for industrial purposes. Therefore Project Proponent is directed to clarify the source of water for the mining (industrial) project.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वृक्षों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत् Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक–पृथक रनिंग वाटर फेसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

1. वृक्षों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, धरमजयगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 24/05/2023 को जारी पत्र अनुसार "स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें धौरा, सेन्हा एवं अन्य छोटी झाड़ियां मौके पर पाया गया। चूंकि वर्तमान में बरसात सीजन होने के कारण उक्त क्षेत्र KML गूगल अर्थ में घना प्रतीत हो रहा है।" होना बताया गया है।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत् Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक–पृथक रनिंग वाटर फेसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-Semipali Khurd**	
			Runing Water Facility for Boys Toilets	0.15
			Runing Water Facility for Girls Toilets	0.20

			Plantation	0.41
			Total	**0.76**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **प्राधिकरण द्वारा नोट किये गये तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का निम्न मत है:–**

- विचाराधीन प्रकरण में उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के अनुबंध पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा एल. ओ.आई. जारी की गई है।

- विचाराधीन प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही संबंधित खदान की दूरी वन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक है। अतः प्रस्तावित लीज क्षेत्र पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है।

- विभिन्न संरचनाओं से न्यूनतम दूरी बाबत् – छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) में निम्न प्रावधान है:–

  "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या ग्रामीण मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर:" का उल्लेख है।

  विचाराधीन प्रकरण में सार्वजनिक क्षेत्र यथा स्कूल, हेल्थ सेंटर आदि की दूरी उपरोक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक होने, प्रस्तावित खदान अपेक्षाकृत छोटे लीज क्षेत्र का होने तथा खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की सक्षम व्यवस्था करने के कारण Mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc. की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

- जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किये जाने बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि **MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department Of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation)** (CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY), New Delhi द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/09/2020 में निम्न प्रावधान है:–

  "Exemptions from seeking No Objection Certificate: (v) Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day."

विचाराधीन प्रकरण में जल खपत की मात्रा 10 घनमीटर/दिन से कम है। अतः औद्योगिक क्रियाकलापों (जल छिड़काव) में पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में रनिंग वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। तदाशय के अनुसार पूर्व में अनुशंसित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय के अंतर्गत आवेदित प्रकरण में शुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने हेतु विचार किया गया, जो निम्नानुसार है:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 को आयोजित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण के एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 "**मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391)" के** प्रकरण में **पृष्ठ क्रमांक 92 पर समिति के निर्णय में** शुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

"**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में रनिंग वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। तदाशय के अनुसार पूर्व में अनुशंसित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।"

के स्थान पर

"**समिति द्वारा पाया गया कि** प्राधिकरण द्वारा "We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance." के settled procedure हेतु बिन्दु उठाये गये है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में आवेदित खदान हेतु जारी एल.ओ.आई./सहमति प्राप्त भूमि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति (सहमतिकर्ता) की भूमि है।

अतः **समिति द्वारा पुनः विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा settled procedure का समुचित पालन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में

कलेक्टर, जिला–रायगढ़ से जानकारी मंगाये जाने के लिए पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा settled procedure का समुचित पालन नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST Category) के पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रस्ताव सहित) पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।" ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 5(घ) के तहत् समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 29/10/2014 के अधीन समिति स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को सम्मिलित करते हुये चार सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। चार सदस्यीय समिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः समिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कलेक्टर, जिला–रायगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

पढ़ा जाये।

साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 का अनुमोदन होने के कारण वर्तमान में आवेदित प्रकरण (ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426822/ 2023, दिनांक 21/04/2023, **सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391**) तकनीकी दृष्टिकोण से परिवेश पोर्टल में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष है।

अतः **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को पुनः विचार किये जाने हेतु वापस भेजे जाने बाबत् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु

प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/10/2023 के परिपेक्ष्य में उपसमिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही श्री पंकज सिन्हा, कोरबा द्वारा दिनांक 12/09/2023 को आवेदित प्रकरण हेतु शिकायत प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ शिकायत /निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. श्री पंकज सिन्हा, पिता श्री निशचल सिन्हा, पता–मकान नंबर सी 225, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर, निहारिका कोरबा, जिला–कोरबा द्वारा "मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को नियम विरूद्ध लीज स्वीकृत की शिकायत व कार्यवाही बाबत्।" के संबंध में दिनांक 12/09/2023 को शिकायत प्राप्त हुआ है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   "मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 (रकबा 0.82 हेक्टेयर) व खसरा क्रमांक 115 (रकबा 1.16 हेक्टेयर) कुल रकबा 1.52 हेक्टेयर पर उत्खनिपट्टा देने में विशेष कृपा दृष्टि बरती गयी है। छतीसगढ़ parivesh.nic.in पर अपलोडेड प्रपोजल क्रमांक 426822 व फाईल क्रमांक 2391 के पैराग्राफ 15 की कंडिका 1 से 8 का विस्तृत अध्ययन करने पश्चात् निम्न गलतियाँ पायी गयी है–

   (1) सहमति पत्र में मात्र 88 नंबर खसरा वाले भूमि स्वामी से सहमति ली गयी है या तो खत्तरा क्रमांक 115 (रकबा 1.16 हेक्टेयर) वाले भू–स्वामी की सहमति पत्र अपलोड नहीं किया गया है या 115 खसरा भू–स्वामी से सहमति ली ही नहीं गयी है?

   (2) सहमति पत्र में मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये है ये स्पष्ट नहीं है, सहमति पत्र में दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पद, आधार नंबर पैन कार्ड का उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्त कमियों के आधार पर नोटरी दस्तावेज सम्पादित कैसे हुआ, इस अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर लीज स्वीकृत कैसे हुई?

   (3) सहमति पत्र में किसानों को दी जाने वाली राशि का उल्लेख भी नहीं है अजीब विडंबना है की राशि का उल्लेख किये बिना नोटरी कैसे सम्पादित हुई और उसी नोटरी के आधार पर लीज भी स्वीकृत हुई?

   (4) सहमति पत्र में भू–स्वामी का आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र इत्यादि का उल्लेख नहीं है और न ही सहमति पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति सलग्न है उक्त कृत्य अपूर्ण दस्तावेज की श्रेणी में आते है, इस तरफ सभी बोर्ड मेम्बर का ध्यान क्यों नहीं गया?

   (5) सहमति पत्र को पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है मात्र 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी दस्तावेज निष्पादित करवाकर खानापूर्ति की गयी है, नोटरी दस्तावेज में गवाह के नाम व पते तक का उल्लेख नहीं है सिर्फ गवाह के हस्ताक्षर करके दस्तावेज निष्पादित किया गया है उक्त कमियों के कारण नोटरी

पत्र भी पूरी तरह अवैध व फर्जी दस्तावेज की श्रेणी में आता है उक्त अवैध दस्तावेज के आधार पर लीज कैसे स्वीकृत हुई ?

(6) लीज के आवेदन के साथ सलग्न खसरा बी–1, पी–2 और नक्शा आदि को किसी लोक सेवा केंद्र, पटवारी, राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार से सत्यापित नहीं करवाया गया है, ऐसा लगता है कि बी–1, पी–2 और नक्शा आदि दस्तावेज से छेड़छाड़ की गयी है जिसका साक्ष्य इस शिकायत पत्र की कडिका 8 में है अपूर्ण व आधे अधूरे दस्तावेजों के आधार पर लीज कैसे स्वीकृत हुई?

(7) मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा इस लीज को सम्पादित करने के लिए और अन्य शासकीय कार्यों के लिए किसे अधिकृत किया गया है ये भी स्पष्ट नहीं है, मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन ने ऐसा कोई साक्ष्य (रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा) भी पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो अमुक व्यक्ति मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, बिना रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा के लीज स्वीकृत कैसे हुई ?

उक्त खसरा क्रमांक 88 का छत्तीसगढ़ की मिसल साईट https://revenue-cg-nic-in/missal पर अवलोकन करने पर पता चलता है की खसरा नंबर 88 तो मात्र 25 डिसमिल /0.10 हेक्टेयर का ही है पर आपके समक्ष उसी खसरे को 203 डिसमिल /0.82 हेक्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया है, 25 डिसमिल / 0.10 हेक्ट का खसरा कैसे 203 डिसमिल/0.82 हेक्टेयर का हो गया, जांच का विषय है? https://revenue-cg-nic-in/missal से प्राप्त मिसल रिकॉर्ड इस शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। इतनी बड़ी व भारी गलती के बाद भी लीज केसे स्वीकृत हुई?

(9) उक्त भूमि पटवारी रिकॉर्ड में गिरदावरी में चिन्हांकित है, जो की यह दर्शाता है की उक्त जमीनों पर धान की खेती हो रही है और उसी धन को शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान दरों पर बेचा भी जायेगा। यह कैसे सम्भव है की उक्त जमीनों पर खेती भी हो रही है और पत्थर उत्खनन भी इस गलती को शासन किस प्रकार परिभाषित करेगा ?

(10) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6 (ख) तथा प्ररूप नौ की कंडिका अठारह (ख) के तहत खनिज उपलब्धता के सन्दर्भ मे प्रतिवेदन में माइनिंग इन्स्पेक्टर श्री बबलू पाण्डेय ने निकट स्थित अन्य माइस (मेसर्स सुनील अग्रवाल) से दूरी 100 मीटर बताई है पर आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर व 200 मीटर की परिधि की जानकारी बाबत में वही दूरी 120 मीटर बताई है उक्त गलती किस प्रकार परिभाषित होगी?

उक्त कमियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि लीज देने में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग हुआ है और बहुत हद तक सम्भव भी है की एक अच्छी खासी मोटी रकम स्थित के रूप में सरकारी अधिकारीयों को भेंट की गयी हो।

अतः मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को फर्जी आधारहीन व गलत जानकारी प्रस्तुत कर लीज को स्वीकृत करने के आरोप में दण्डित किया जावे और उक लीज तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए।"

समिति के संज्ञान में यह तथ्य गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2024 द्वारा "प्राप्त, पंकज सिन्हा, पिता निश्चल सिन्हा पता– मकान नं. C-225, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर निहारिका, कोरबा छत्तीसगढ़ के शिकायत को निराधार मानना एवं उपरोक्त के नाम एवं पता को भी निराधार मानते हुये

पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु।" के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा खसरा क्रमांक 88 एवं 115 (भाग) में कुल 1.52 हेक्टेयर हेतु आशय पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके भूमि स्वामी की सहमति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की गई है एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान भी, प्रस्तुत की गई है।

2. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन भोपाल के द्वारा वैध सहमति पत्र की मूल प्रति उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु कार्यालय कलेक्टर, माइनिंग शाखा रायगढ़, में आवेदन किया गया। जिसमें भूमि स्वामियों के सहमति की जाँच प्रतिवेदन के उपरांत ही उत्खनि पट्टा हेतु दिलीप बिल्डकॉन के पक्ष में, सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है तथा पूर्व में आपके कार्यालय के द्वारा भी भूमि स्वामियों की हितों की रक्षा हेतु जाँच करा ली गई है। जाँच उपरांत संपूर्ण प्रपत्रों को आपके कार्यालय में हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

3. महोदय, सहमति पत्र मात्र, लीज बनाने हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को, सहमति प्रदान की गई है। उपरोक्त सहमति में अपनी जमीन को लीज बनाने के लिये सहमति दाता, सहमति प्रदान करता है। महोदय पूर्व में आपके कार्यालय में सहमति दाता के हितों की पूर्ति की जाँच की जा चुकी है। जाँच उपरांत सहमति दाता को भुगतान की जाने वाली राशि संबंधित प्रपत्र आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

4. महोदय, सहमति पत्र प्रदान करने वाले भूमि स्वामियों का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र उनकी फोटो के साथ नोटरी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर, नोटरी अधिकारी द्वारा पुष्टि कर लेने के पश्चात् ही नोटरी किया गया है।

5. महोदय, 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर दो गवाहों के समक्ष नोटरी अधिकारी के समक्ष, भूमिस्वामियों की उपस्थिति में वैध दस्तावेज निष्पादित किया गया है। जिसे पूर्व में आपके कार्यालय द्वारा सहमति दाता के हितों की पूर्ति की जाँच करा ली गई है एवं सहमति पत्र को पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता, लीज निष्पादन, कार्य में आवश्यकता नहीं होती है।

6. लीज आवेदन के साथ संलग्न B-I, P-II एवं लीज आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसके जाँच उपरांत ही सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

7. मेसर्स, दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा इस लीज को संपादित करने के लिए और अन्य शासकीय कार्यालयों के लिए, अधिकृति प्रतिनिधि के कंपनी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र को प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. ग्राम सेमीपाली खसरा क्रमांक 88 का वर्तमान B-I एवं P-II आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसका रकबा राजस्व कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा जाँच उपरांत ही सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है। महोदय ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ खसरा क्रमांक 88 को राजस्व रिकार्ड, ऑनलाईन पोर्टल भुंइय्या कार्यक्रम पर भी देखकर पुष्टि की जा सकती है। जिसकी डिजीटल सिग्नेचर युक्त प्रति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

9. उक्त भूमि में पत्थर होने के कारण, भूमि स्वामियों के द्वारा, लीज बनाने हेतु प्रदान की गई है। भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा की जाँच पूर्व में ही करा ली

गई है तथा उक्त भूमि पर लीज निष्पादन के उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जा सकेगा।

10. महोदय, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को प्राप्त आवेदन के अनुसार मेसर्स सुनील अग्रवाल की खदान आवेदित खदान से 120 मीटर की दूरी पर ही है। जिसकी प्रति आपके कार्यालय में पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है।

महोदय, उक्त अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किये गये कृत्य से स्पष्ट होता है कि किसी के भी द्वारा कुछ भी नाम एवं पता लिखकर जानबूझकर परेशान व शासन प्रशासन को भ्रमित करने की मंशा से जानकारी चाही जाती है एवं शिकायत की जाती है। इससे मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा सरकार की भारत माला जैसे राष्ट्र की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।

आपके कार्यालय द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु सभी प्रपत्रों की पुष्टि के उपरांत ही, इस आवेदन के लिये, कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करके जाँच की जा चुकी है तथा पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा भी की जा चुकी है। उक्त शिकायत को मेरे द्वारा, शिकायत की अज्ञात शिकायतकर्ता के रूप में थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा उनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गलत ठहराया जा चुका है

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं के स्पष्टीकरण को संज्ञान में लेते हुये आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ द्वारा आवेदित खदान में प्राप्त उपरोक्त शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1753/एस.ई.ए.सी., छ.ग./रायगढ़/2391 नवा रायपुर अटल नगर, दिनाक 26/11/2023 के पालनार्थ समिति के सदस्यों ने दिनांक 25/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक व अन्य उपस्थित ग्रामीणों के साथ प्रतिवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में समिति के सदस्य, श्री किशन सिंह ध्रुव, श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री अंकुर साहू क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के साथ–साथ परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य उपस्थित थे।

- परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 467वीं बैठक दिनाक 24/05/2023 को परियोजना की स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दी गई जिसके आधार पर समिति द्वारा खदान बी–2 श्रेणी की मानी गई। क्षेत्र में वृक्षों की संख्या गणना कर प्रस्तुत करने की शर्त पर मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115 (पार्ट) निजी भूमि में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर पर उत्खनन क्षमता 2,50,936 टन (92,605

घनमीटर) प्रतिवर्ष खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

- समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण में दिये गये अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छ.ग. के 115वीं बैठक दिनांक 07/07/2023 को विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

- प्राधिकरण ने विचार विमर्श पश्चात् निम्नलिखित टीप कर पुनः परीक्षण हेतु एस.ई.ए.सी. को वापस की गई।

1. Whether the subject land belongs to general category or Sc-/St- which required to be verified before considering the proposal. if subject land/project land belong to the Trible communities in that case we need to see whether a sattled procedure has been adopted for obtainning consent of the land owners or not.
2. वृक्षों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

- प्राधिकरण के टीप के आधार पर समिति में पुन विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने के शर्त पर पर्यावरण सम्मति हेतु पुनः प्राधिकरण को भेजी गई।

- उपरोक्तानुसार प्राधिकरण/समिति के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांगी गई जानकारी दिनांक क्रमशः दिनाक 13/07/2023 एवं 07/08/2023 को प्रस्तुत की गई।

- जानकारी प्राप्त होने पर समिति की 481वी बैठक दिनाक 11/08/2023 को पुन कुछ बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक को अतिरिक्त जानकारी देने हेतु निर्देशित करते हुए स्वीकृति देने की अनुशंसा की गई।

- पुनः दिनांक 23/08/2023 को अनशंसित प्रकरण को विचार विमर्श कर 481वीं बैठक में लिए गए निर्णय को संशोधन कर स्थल निरीक्षण हेतु समिति का गठन एवं (सेटल्ड प्रोसिजर) Settled Procedure का पालन करने संबंधी जानकारी जिला कार्यालय से मंगाई गई।

- इसी निर्णय के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा दिनाक 26/11/2023 को स्थल निरीक्षण किया गया।

  (ज्ञात हो कि उक्त समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण अनुमोदन पश्चात् दिनांक 11/08/2023 को प्राधिकरण से पुनः नस्ती मंगाकर 23/08/2023 कार्यवाही विवरण में संशोधन किया गया)

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी./एस.ई आई.ए.ए. को प्रस्तुत समस्त जानकारी स्थल निरीक्षण के समय प्रस्तुत की गई। विवरण निम्नानुसार है–

1. पंचायत प्रस्ताव
2. वन मंडलाधिकारी के द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र
3. सी.ई.आर. के अंर्तगत किये जाने कार्य की संशोधित जानकारी
4. भूमि स्वामी का सहमति पत्र

5. शासन द्वारा निर्धारित सेटल्ड प्रोसिजर का पालन करने संबंधी जानकारी

6. वृक्षों की संख्या के संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी का प्रतिवेदन

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज /पर्यावरण नियमों का समुचित पालन किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत

8. ए.ओ.ई.एफ. के निर्देश अनुसार भारत के किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

निरीक्षण के समय यह भी नोट किया कि प्रतिवेदित क्षेत्र में कुछ बरसाती झाड़ी जैसे धौरा, सेनहा एवं कोरई के छोटे–छोटे झाड पाये गए।

- प्रतिवेदित भूमि निजी है फोरेस्ट के अंतर्गत नहीं है। 250 मीटर के अंतर्गत कोई जंगल नहीं है। निरीक्षण में आस–पास के क्षेत्र भी निजी भूमि होना अवलोकित किया गया है। जिसके कारण गूगल मैप में जंगल होने का आभास होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है (परिक्षेत्र अधिकारी का डी.एफ.ओ. को प्रस्तुत प्रतिवेदन)

- उक्त झाड़ियों की कटाई/सफाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर की गई। इस प्रकार प्राधिकरण / समिति द्वारा मांगी गई सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के संशोधित प्रस्ताव एवं कार्यालय कलेक्टर से सेटल्ड प्रोसिजर के पालन संबंधी जानकारी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

- ज्ञात हो कि इस परियोजना से प्राप्त गौण खनिज का उपयोग एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित भारतमाला प्रोजेक्ट (जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व के हैं) के अंतर्गत सड़क निर्माण में किया जावेगा।"

3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3023/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 12/12/2023 के अनुसार "मेसर्स दिलीप बिल्डाकॉन लिमिटेड के द्वारा उपरोक्त खसरा क्रमांक 88 एवं 115 का अनुबंध किया गया है। जिसका अनुविभागीय अधिकारी (रा०) धरमजयगढ़ से परियाजना प्रस्तावक द्वारा settled Procedure का समुचित पालन किया गया है कि नहीं, के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया, के सबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ द्वारा संदर्भित पत्र क्रमाक 03 में खसरा क्रमाक 88 एवं 115 का अनुबंध कर के अनुबंधित राशि को अनुबंधदाता भुवन राम मांझी, पिता नहरसाय तथा लोहर साय पिता नैहरताय, बेतराम पिता सुखराम तथा आशामांती पिता सुखीराम के खाते में चेक एवं आर.टी.जी.एस. के द्वारा भुगतान किया गया है तथा मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के परियोजना प्रस्तावक द्वारा Settled Procedure का समुचित पालन जाना प्रतिवेदित किया गया है।" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। पूर्व में निहित की गई शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   v. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

12. मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स), ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2642)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /440723 /2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,373.6 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलवीर सिंह बैन्स, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–20,373.6 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 260 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	
01/07/2018 से 31/12/2018	
01/01/2019 से 30/06/2019	
01/07/2019 से 31/12/2019	24
01/01/2020 से 30/06/2020	90
01/07/2020 से 31/12/2020	50
01/01/2021 से 30/06/2021	60
01/07/2021 से 30/09/2021	30
01/10/2021 से 31/03/2022	निरंक
01/04/2022 से 30/09/2022	850

समिति का मत है कि सितम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत पतेरापाली का दिनांक 22/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभारी खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1208/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 30/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री बलवीर सिंह बैस के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात दिनांक 19/07/2006 से 18/07/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज़ डीड 20 वर्षों

अर्थात् दिनांक 19/07/2016 से 18/07/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की जाती है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3066 महासमुंद, दिनांक 18/08/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पतेरापाली 700 मीटर, स्कूल ग्राम–पतेरापाली 1 कि.मी. एवं अस्पताल खरियार रोड़ 8.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.65 कि.मी. दूर है। जोंक नदी 5.6 कि.मी., मौसमी नाला 1.4 कि.मी., नहर 4 कि.मी. एवं तालाब 560 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,91,232 टन (1,50,474 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,10,705 टन (81,040 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,89,634 टन (72,936 घनमीटर), था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 3,88,043 टन (1,49,247 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,07,515 टन (79,813 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,86,764 टन (71,832 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,995 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। हि–लॉक की औसत ऊचाई 9.5 मीटर एवं भू–तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा 1,595.5 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,050.24 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 545.26 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को समीपस्थ सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 71/1, 71/9 एवं 102/7, क्षेत्रफल 0.35 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	20,373.60
2024–25	20,373.60
2025–26	20,373.60
2026–27	20,373.60

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 591 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 260 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 331 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (331 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	33,100	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	50,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	29,550	29,550	29,550	29,550	29,550
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
अन्य कार्य हेतु		5,000	–	–	–	–
कुल राशि = 12,35,850		**3,17,650**	**2,29,550**	**2,29,550**	**2,29,550**	**2,29,550**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के 262 वर्गमीटर क्षेत्र में चौड़ाई कम होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
10.11	2%	0.20	Following activities at Nearby Village Pond, **Village- Paterapali**	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	**0.50**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यो हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पतेरापाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 681, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

    i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यक्तानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 560 मीटर तथा नहर 4 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1 कि.मी., अस्पताल 8.9 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 700 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाऐगें–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपना कर कम किया जाएगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. सितम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1751/क/खनि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/12/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अक्टूबर, 2022	निरंक
नवम्बर, 2022	
दिसम्बर, 2022	
15 जनवरी, 2023	
नोट 15 जनवरी, 2023 को पर्यावरण सम्मति समाप्त होने उपरांत पट्टेदार द्वारा खदान से उत्पादन नहीं किया जा रहा है।	

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानो की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मुख्तियारपारा) का क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स) को ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर,

क्षमता–20,373 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

13. मेसर्स बदुराबहार आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री गोविंद अग्रवाल), ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2857E)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all

such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 453964 एवं 01/12/2023	
खदान का प्रकार	पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.632 हेक्टेयर एवं 5,796.71 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1019	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री वैभव कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 1019 क्षेत्रफल – 0.632 हेक्टेयर क्षमता – 5,796.71 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 28/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–जशपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26/11/2044 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – हाँ
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 24/01/2024	वित्तीय वर्ष – उत्पादन (घनमीटर) 28/01/2017 से 31/03/2017 – निरंक 2017–18 – 1,000 2018–19 – 1,380 2019–20 – 1,472 2020–21 – 2,060 2021–22 – 1,780 2022–23 – 2,062 09/2023 – 2,020
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बटुराबहार दिनांक 24/11/2012	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13/10/2020	
500 मीटर	दिनांक 29/11/2023	4 खदानें, क्षेत्रफल 7.88 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 29/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

लीज डीड	लीज धारक– श्री गोविन्द अग्रवाल अवधि–27/11/2014 से 26/11/2044	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र के समीपस्थ दूरी पर ग्राम–बटुराबहार, खसरा क्रमांक 1030/6, 1044, 999/2, 1030/5 एवं 1033, क्षेत्रफल 3.042 हेक्टेयर से वन की दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर द्वारा जारी दिनांक 14/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वन खण्ड पी.एफ. 1007 से दूरी – 6 कि.मी.	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 0.632 हेक्टेयर) की लेमरू एलिफेन्ट रिजर्व की आकाशीय दूरी – 48 कि.मी. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बटुराबहार 540 मीटर स्कूल ग्राम – बटुराबहार 835 मीटर अस्पताल – पत्थलगॉव 14.3 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 5.15 कि.मी. राज्यमार्ग – 6.1 कि.मी.	भूरी नदी – 1.15 कि.मी. मौसमी नाला – 1.6 कि.मी. तालाब – 460 मीटर नहर – 1.35 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैन्युअल ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **माईनिंग प्लान अनुसार रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 1,06,176 टन माईनेबल 32,097.8 टन रिकव्हरेबल 28,888.02 टन **वर्तमान में रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 81,529.78 टन माईनेबल 7,451.58 टन रिकव्हरेबल 6,706.42 टन प्रस्तावित गहराई 6 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 5.5 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 5,796.70 टन द्वितीय 5,796.70 टन तृतीय 5,796.70 टन चतुर्थ 5,796.70 टन पंचम 5,796.70 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,236 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अथवा ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।	

जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 438 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 150 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 288 नग	
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.512 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 21 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants and the name of the plant.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

14. मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी), ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2858)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 453720 एवं 02/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ 440 एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री संतु कुंजाम, सरपंच उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी दिनांक 23/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 06/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 01 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– बड़े सुरोखी 1.2 कि.मी. स्कूल ग्राम– बड़े सुरोखी 2.1 कि.मी. अस्पताल–गीदम 11.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–2.5 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 196 मीटर, न्यूनतम 112 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम –974 मीटर, न्यूनतम 970 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 39 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 196 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 97 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई

	खदान की नदी तट के किनारे से दूरी – अधिकतम 97 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर	112 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 12 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 22/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 324 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,84,942 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने एवं वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ

	जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6	2%	0.12	Following activities at Nearby, **Village- Bade Surokhi**	
			Plantation in Village	6.315
			Total	**6.315**

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 640 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 58,640 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,36,700 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,82,140 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,49,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 295, क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं

नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र

को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी) को ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 440, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–बड़े सुरोखी के शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. आवेदित खदान में उत्खनन कार्य हेतु अद्यतन स्थिति में वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र

प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड क्वारी (D-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार), ग्राम–बड़ेतुमनार, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2885)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454146 एवं 04/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ 802 एवं शंकनी–डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गुड्डी राम कश्यप, सरपंच उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार दिनांक 23/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 06/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े तुमनार दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बड़ेतुमनार 2 कि.मी. स्कूल ग्राम–बड़ेतुमनार 2.1 कि.मी. अस्पताल–गिदम 17.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–200 मीटर	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 126 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–**	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 126 मीटर है, उस खनन

की नदी तट से दूरी	अधिकतम – 850 मीटर, न्यूनतम 810 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 71 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर	स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 40 मीटर है तथा खनन 85 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 2.5 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 22/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर – 118 नग वृक्षारोपण किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,34,276 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढ़ककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने एवं वर्षाऋतु के	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common

	दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6.81	2%	0.14	Following activities at Nearby, Village- Bade Tumnaar	
			Plantation in Village	5.06
			Total	**5.06**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 405 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 39,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,65,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े तुमनार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 449, क्षेत्रफल 15.91 हेक्टेयर में से 0.40 डिसमिल में) संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं

नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शंकनी–डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र

को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड क्वारी, (D-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार) को ग्राम–बड़ेतुमनार, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 802, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड क्वारी, (D-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–बड़े तुमनार के शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. आवेदित खदान में उत्खनन कार्य हेतु अद्यतन स्थिति में वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद), ग्राम–अरौद, तहसील–चरामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2892)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 446411 एवं 05/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.9 हेक्टेयर एवं 78,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ 01 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्रीमती सत्यवती मरकाम, सरपंच उपस्थित हुई।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत अरौद दिनांक 02/02/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 20/09/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 04/08/2023	
500 मीटर	दिनांक 25/09/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद दिनांक – 04/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल कांकेर द्वारा जारी दिनांक 19/04/2023	वन खंड कक्ष क्रमांक RF-223 से दूरी – 2 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – अरौद 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – अरौद 1.2 कि.मी. अस्पताल – चिनौरी 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 253 मीटर, न्यूनतम 205 मीटर	

चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 560 मीटर, न्यूनतम 518 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 49 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–78,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 4 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 27/01/2024 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 800 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 9,55,440 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खदान से किसी भी प्रकार का दुषित जल, प्राकृतिक जल स्त्रोत में प्रवाहित न करने, पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन करने, छः माही पालन प्रतिवेदन जमा करने, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लीज क्षेत्र के बहार खनन नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common

	उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.9 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities at Nearby, Village- Aroud	
			Plantation in Village	4.91
			Total	4.91

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 450 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 76,320 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अरौद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 123, क्षेत्रफल 2.05 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद) को ग्राम–अरौद, तहसील–चरामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 35,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश

प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–अरौद के शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स कुदमुरा–1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा), ग्राम–कुदमुरा, तहसील–मैसमा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2903)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454537 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8 हेक्टेयर एवं 43,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	325/1 एवं माण्ड नदी	

बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्रीमति बीजमोती राठिया, सरपंच उपस्थित हुई।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कुदमुरा दिनांक 03/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/05/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 30/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 31/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 31/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा दिनांक – 31/05/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा द्वारा जारी दिनांक 18/05/2023	वन खंड कक्ष क्रमांक P-1139 से दूरी – 600 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कुदमुरा 1.3 कि.मी. स्कूल ग्राम – हाटी 4 कि.मी. अस्पताल – हाटी 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 37 कि.मी. राज्यमार्ग – 1.5 कि.मी.	नहर – 5 कि.मी. से अधिक तालाब – 700 मीटर
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम– 205 मीटर, न्यूनतम 172 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम– 685 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम–86 मीटर, न्यूनतम 53.81 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम–30 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3.95 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–43,200 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर	

	रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 11/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	कुल वृक्षारोपण– 1,200 नग नदी के तट पर – 800 नग पंहुच मार्ग के दोनों ओर – 400 नग ग्राम पंचायत कुदमुरा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (नदीतट का खसरा क्रमांक 317/1, 325/1 एवं पहुंचमार्ग का खसरा क्रमांक 314/1)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,65,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लीज क्षेत्र के बहार खनन नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Nearby, Village- Kudmura	
			Pavitra Van Nirman	0.80
			Total	**0.80**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (बरगद, पीपल, नीम, आंवला, जामुन, छीता आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 300 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 47,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुदमुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1123/4, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कुदमुरा–1 सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा) को ग्राम–कुदमुरा, तहसील–भैसमा, जिला–कोरबा, खसरा क्रमांक 325/1, कुल लीज क्षेत्रफल–4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कुदमुरा–1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन

कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

18. मेसर्स गुमड़ा (डी–4) सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा), ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–साउथ बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2906)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454383 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	1224(पार्ट) एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री जगमोहन सोनी, सरपंच उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत गुमड़ा दिनांक 15/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 06/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत गुमड़ा दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 27/07/2023	खदान से 5 कि.मी. की सीमा के भीतर कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – गुमड़ा 1.7 कि.मी. स्कूल ग्राम – गुमड़ा 1.8 कि.मी. अस्पताल – दन्तेवाड़ा 9.1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम – 125 मीटर, न्यूनतम 63 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 1,038 मीटर, न्यूनतम 1,026 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम – 60 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम – 79 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 125 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 79 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 63 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 2.5 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 23/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर – 346 नग वृक्षारोपण किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,94,426 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

	समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढ़ककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने एवं वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Nearby, **Village- Gumda**	
			Plantation in Village	5.06
			Total	**5.06**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 405 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 39,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो

हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,65,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुमड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 690, क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर) संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं

पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स गुमड़ा (डी–4) सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा) को ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–साउथ बस्तर दंतेवाड़ा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1224, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गुमड़ा (डी–4) सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–गुमड़ा के शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स चिखली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आदित्य कुमार वर्मा), ग्राम–चिखली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2911)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 453470 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.95 हेक्टेयर एवं 89,100 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	1127(पार्ट) एवं महानदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अभिषेक यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चिखली दिनांक 02/12/2013	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 01/12/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 04/12/2023	
500 मीटर	दिनांक 04/12/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री आदित्य कुमार वर्मा दिनांक – 04/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 07/08/2023	वन कक्ष क्रमांक 1 से दूरी – 500 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – चिखली 1.65 कि.मी. स्कूल ग्राम – चिखली 2.8 कि.मी. अस्पताल – पलारी 18.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 16.55 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	तालाब – 1.9 कि.मी. सिंचाई नहर – 1.35 कि.मी. नाला – 1.35 कि.मी. एनिकट – 10.10 कि.मी. रोड ब्रिज – 14.7 कि.मी.

खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1010 मीटर, न्यूनतम 925 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 192 मीटर, न्यूनतम 177 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 273 मीटर, न्यूनतम 263 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 115 मीटर, न्यूनतम 105 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 5.1 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,100 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या– 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.25 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 12/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत चिखली द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1128 एवं क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,375 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं

	किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.80	2%	0.896	Following activities at Nearby, **Village- Chikhali**	
			Plantation around village Pond	0.93
			Total	**0.93**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम की विभिन्न प्रजातियां, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 60 नग पौधों के लिए राशि राशि 6,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चिखली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 565, क्षेत्रफल 1.72 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का

कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स चिखली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आदित्य कुमार वर्मा) को ग्राम–चिखली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1127, कुल लीज क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,550 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed)

में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चिखली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आदित्य कुमार वर्मा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

20. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (रानी अटारी अंडरग्राउण्ड कोल माईन), चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2967)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 456204/ 2023, दिनांक 20/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–389.491 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.576 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) करने के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नवीनत श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, बी. हरि बाबू, मुख्य प्रबंधक एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्री अभिषेक कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

   Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental sefeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 08/04/2010 द्वारा कुल क्षेत्रफल–389.491 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 फरवरी 2024 तक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोल माईन क्षमता 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 25/10/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/10/2024 तक वैध थी।

6. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कंपनी सेकेट्री, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/ 201वीं सीओएफडी ईएक्सटी/23–24/975, दिनांक 12/12/2023 द्वारा अनुमोदित है।

7. **जल आपूर्ति** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की मात्रा 614 घनमीटर प्रतिदिन (खनन हेतु 270 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन में 137 घनमीटर प्रतिदिन, फायर सर्विस में 46 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू में 116 घनमीटर प्रतिदिन, अन्य में 45 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड अथॉरिटी में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु खदान क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल (माईन वॉटर) क्षमता 5,000 गैलन/घंटा के उपचार हेतु ई.टी.पी. की स्थापित किया जाना बताया गया है। वार्क शॉप से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – अण्डर ग्राउण्ड कोल को कन्व्हेयर बेल्ट के माध्यम से भण्डारण क्षेत्र तक लाया जाता है। बेल्ट कन्व्हेयर में जल छिड़काव की व्यवस्था है। साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग एवं धूल उत्सर्जन बिन्दुओं में जल छिड़काव की व्यवस्था है। भण्डारण क्षेत्र एवं रेल्वे साईडिंग में मिस्ट स्प्रेयर्स स्थापित है। 02 नग मोबाईल कैन्नस की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मार्गो के लिए रोड स्वीपर मशीन की व्यवस्था होना बताया गया है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।

10. कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19/03/1998 एवं 07/01/1999 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड को दिया गया था।

11. **भूमि संबंधी विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल लीज क्षेत्रफल 389.491 हेक्टेयर क्षेत्र में से 361.491 हेक्टेयर वन भूमि, 28 हेक्टेयर प्राईवेट भूमि है।

12. भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (फॉरेस्ट क्लीयरेन्स डिवीजन), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 23/02/2009 के माध्यम से 1607.05 हेक्टेयर (अण्डर ग्राउण्ड) एवं 20.833 हेक्टेयर भूमि (Surface rights) हेतु स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस 20 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

13. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वन मण्डल कटघोरा के ज्ञापन दिनांक 01/12/2023 के माध्यम से खदान क्षेत्र के आस–पास हाथी प्रवास पर जागृति एवं नियत्रंण हेतु रूपये 19,00,000/– जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने की कार्यवाही किया जाना बताया गया।

14. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – वर्तमान में माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 46.73 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 5.733 मिलियन टन है। अण्डर ग्राउण्ड सेमी मेकैनाईज्ड विधि एवं पिलर विधि से उत्खनन किया जाता है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। Low Height continuous miner with shuttle car combination के माध्यम से उत्खनन किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)
प्रथम	0.576	षष्टम	0.72
द्वितीय	0.672	सप्तम	0.72
तृतीय	0.72	अष्टम	0.72
चतुर्थ	0.72	नवम	0.165
पंचम	0.72		

15. ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. (Envrionmental Impact Assessment & Environmental Management Plan) रिपोर्ट सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 22/08/2024 तक है।

16. **प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण निम्नानुसार है:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants				
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**GSR 742 (E) Standard at Core Zone (µg/m^3)**	**GSR 826 (E) Standard at Buffer Zone (µg/m^3)**
Suspended Particulate Matter (SPM) (Core zone)	193.6	235.2	600	-
Suspended Particulate Matter (SPM) (Buffer zone)	737	128.7	-	-
PM_{10} (Core zone)	124.1	150.8	300	-
PM_{10} (Buffer zone)	45.2	80.5	-	100

$PM_{2.5}$ (Core zone)	79.3	96.1	-	-
$PM_{2.5}$ (Buffer zone)	39.8	49.9	-	60
SO_2 (Core zone)	15.1	29.0	120	-
SO_2 (Buffer zone)	18.8	29.3	-	80
NO_x (Core zone)	19.2	33.7	120	-
NO_x (Buffer zone)	14.5	24.8	-	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of the Environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	44.1	71.1	75
Night L_{eq}	33.5	60.1	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कराये जाने एवं उसकी रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.0 हेक्टेयर में 2500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वृक्षारोपण वन विकास निगम से कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण लगाये जाने हेतु वन विकास निगम द्वारा तय की गई निर्धारित राशि के आधार पर 05 वर्ष हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव हेतु प्रथम वर्ष में रूपये 4,86,500/– एवं आगामी चार वर्षो में रूपये 4,04,775/–, इस प्रकार 05 वर्षो में कुल रूपये 4,04,775/– वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation**

				(in Lakh Rupees)
38.32	2%	76.64	Eco Park Nirman	81.27
			Total	**81.27**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2 हेक्टेयर भूमि में 2,500 नग किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में बाउण्ड्रीवाल हेतु स्टोन फाउण्डेशन में राशि 37,80,000/– रूपये, बाउण्ड्री ब्रिकवाल हेतु राशि 24,15,000/– रूपये, पौधों के रोपण, रख–रखाव, सिंचाई आदि लिए राशि 9,73,000 रूपये, गेट हेतु राशि 50,000/– रूपये एवं अन्य में राशि 1,00,000/– रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,09,550 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत् स्थानीय पंचायतों/निगम से सम्पर्क किया जाना बताया गया है। भूमि उपलब्ध होने उपरांत वृक्षारोपण का कार्य वन विकास निगम से कराया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान क्षमता विस्तार के तहत् चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–389.491 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.576 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall obtain 2 to 4 hectare land for Eco Park under CER (Corporate Environment Responsibility) from local authorities within 03 months.

   ii. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 0.576 MTPA.

   iii. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

38.32	2%	76.64	Eco Park Nirman	81.27
			Total	**81.27**

iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

vi. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 1 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

vii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

viii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xi. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्ते यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2023 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/03/2024 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 21/02/2024 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 2ए(vi), 2ए(xii), B(viii), B(xii) का अपूर्ण पालन एवं शर्त क्रमांक 2ए(viii), 2ए(xiii), B(iv), B(xv), B(xviii) तथा 5 का आंशिक पालन किया जाना बताया गया है।

इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये गये शर्तों का एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (रानी अटारी अंडरग्राउण्ड कोल माईन) को क्षमता विस्तार के तहत् चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये गये शर्तों का एक्शन

टेकन रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vii. उद्योग परिसर के भीतर एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण में सदाबहार स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

viii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन को 6 माह के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

21. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (विजय वेस्ट अंडरग्राउण्ड कोल माईन), पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2975)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 456345/ 2023, दिनांक 22/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण -- यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–438.10 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) करने के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.के. जेना, जनरल मैनेजर, श्री मनोज कुमार, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्री प्रतीश वी पी, मैनेजर इनव्हायरोमेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

   Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned

EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental sefeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 15/04/2009 द्वारा कुल क्षेत्रफल–438.10 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 फरवरी 2024 तक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा Mining of Coal (Underground Project) कोल माईन क्षमता 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 21/09/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/08/2024 तक वैध है।

6. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कंपनी सेकेट्री, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/ 199वीं सीओएफडी ईएक्सटी/23–24/938, दिनांक 03/12/2023 द्वारा अनुमोदित है।

7. **जल आपूर्ति** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की मात्रा 690 घनमीटर प्रतिदिन (खनन हेतु 270 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन में 137 घनमीटर प्रतिदिन, फायर सर्विस में 137 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू में 92 घनमीटर प्रतिदिन, अन्य में 54 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड अथॉरिटी में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु खदान क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल (माईन वॉटर) के उपचार हेतु ई.टी.पी. की स्थापित किया जाना बताया गया है। वार्क शॉप से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – अण्डर ग्राउण्ड कोल को कन्व्हेयर बेल्ट के माध्यम से भण्डारण क्षेत्र तक लाया जाता है। बेल्ट कन्व्हेयर में जल छिड़काव की व्यवस्था है। साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग एवं धूल उत्सर्जन बिन्दुओं में जल छिड़काव की व्यवस्था है। भण्डारण क्षेत्र एवं रेल्वे साईडिंग में मिस्ट स्प्रेयर्स स्थापित है। मोबाईल कैन्नस की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मार्गो के लिए रोड स्वीपर मशीन की व्यवस्था होना बताया गया है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।

10. कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19/03/1998 एवं 07/01/1999 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड को दिया गया है।

11. **भूमि संबंधी विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल लीज क्षेत्रफल 438.1 हेक्टेयर क्षेत्र में से 349 हेक्टेयर वन भूमि, 89.1 हेक्टेयर प्राईवेट भूमि है।

During Mining

S. No.	Particulars	Tenanacy land	Forest land	Grand total (in Ha.)
1.	Mining area	77.0	340	425
2.	Infrastructure area (within mine lease area)	-	8.0	
3.	Roads (outside mine lease area)	-	1.0	1.0
4.	Residential Colony (outside mine lease area)	12.10	-	12.10
5.	R & R site	-	-	-
6.	Nala Diversion, If any	-	-	-
7.	Safety zone	-	-	-
Total land (in Ha.)		**89.10**	**349.0**	**438.10**

Post Mining

S. No.	Land use	Area (Ha)				
		Plantation	Water body	Public use	Undistubed	Total
1.	External OB	-	-	-	-	-
2.	Top Soil dump	-	-	-	-	-
3.	Excavation	-	-	-	-	-
4.	Roads	-	-	1.0	-	1.0

	(outside mining)					
5.	Built-up area (including Infrastructure and roads within mining area)	8.0	-	-	-	8.0
6.	Green belt	-	-	-	-	-
7.	Undisturbed area	0.216	-	-	416.784	417.0
Total		**8.216**	**0.00**	**1.0**	**428.884**	**438.10**

12. भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (फॉरेस्ट क्लीयरेन्स डिवीजन), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 23/02/2009 के माध्यम से 1607.05 हेक्टेयर (अण्डर ग्राउण्ड) एवं 20.833 हेक्टेयर भूमि (Surface rights) हेतु स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस 20 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

19. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वन मण्डल कटघोरा के ज्ञापन दिनांक 01/12/2023 के माध्यम से खदान क्षेत्र के आस–पास हाथी प्रवास पर जागृति एवं नियत्रंण हेतु रूपये 19,00,000/– जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने की कार्यवाही किया जाना बताया गया।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – वर्तमान में माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 96.97 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 8.632 मिलियन टन है। अण्डर ग्राउण्ड सेमी मेकैनाईज्ड विधि एवं पिलर विधि से उत्खनन किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। Low Height continuous miner with shuttle car combination के माध्यम से उत्खनन किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)
प्रथम	0.6	सप्तम	0.75
द्वितीय	0.7	अष्टम	0.75
तृतीय	0.75	नवम	0.75
चतुर्थ	0.75	दशम	0.75
पंचम	0.75	एकादश	0.75
षष्टम	0.75	द्वादश	0.582

14. ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. (Envrionmental Impact Assessment & Environmental Management Plan) रिपोर्ट सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 22/08/2024 तक है।

15. **प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण निम्नानुसार है:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants				
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**GSR 742 (E) Standard at Core Zone (µg/m^3)**	**GSR 826 (E) Standard at Buffer Zone (µg/m^3)**
Suspended Particulate Matter (SPM) (Core zone)	93.0	130.6	600	-
Suspended Particulate Matter (SPM) (Buffer zone)	199.3	233.3	-	Not Specified
PM_{10} (Core zone)	125.3	146.8	300	-
PM_{10} (Buffer zone)	57.8	81.1	-	100
$PM_{2.5}$ (Core zone)	78.6	92.3	-	-
$PM_{2.5}$ (Buffer zone)	37.4	47.5	-	60
SO_2 (Core zone)	18.3	28.2	120	-
SO_2 (Buffer zone)	14.9	30.2	-	80
NO_x (Core zone)	22.4	32.3	120	-
NO_x (Buffer zone)	12.1	26.6	-	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of the Environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.2	71.5	75
Night L_{eq}	32.7	59.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कर

जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कराये जाने एवं उसकी रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 0.5 हेक्टेयर में 1,250 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वृक्षारोपण वन विकास निगम से कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण लगाये जाने हेतु वन विकास निगम द्वारा तय की गई निर्धारित राशि के आधार पर 05 वर्ष हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव हेतु प्रथम वर्ष में रूपये 2,43,250/– एवं आगामी चार वर्षो में रूपये 2,02,387.50/–, इस प्रकार 05 वर्षो में कुल रूपये 4,45,637.50/– वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49	2%	98	Eco Park Nirman	110.83
			Total	**110.83**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3 हेक्टेयर भूमि में 3,750 नग किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में बाउण्ड्रीवाल हेतु स्टोन फाउण्डेशन में राशि 50,40,000/– रूपये, बाउण्ड्री ब्रिकवाल हेतु राशि 32,20,000/– रूपये, पौधों के रोपण, रख–रखाव, सिंचाई आदि लिए राशि 14,59,500 रूपये, गेट हेतु राशि 50,000/– रूपये एवं अन्य में राशि 1,00,000/– रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,14,325 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत् स्थानीय पंचायतों/निगम से सम्पर्क किया जाना बताया गया है। भूमि उपलब्ध होने उपरांत वृक्षारोपण का कार्य वन विकास निगम से कराया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस

मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान क्षमता विस्तार के तहत् पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–438.10 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall obtain 3 to 5 hectare land for Eco Park under CER (Corporate Environment Responsibility) from local authorities within 03 months.

ii. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 0.576 MTPA.

iii. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49	2%	98	Eco Park Nirman	110.83
			Total	**110.83**

iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned authority.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

vi. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 1 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

vii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

viii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xi. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्ते यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2023 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/03/2024 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 29/02/2024 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 2ए(xi), 2ए(xii), B(ix) का अपूर्ण पालन एवं शर्त क्रमांक 2ए(xiii), 2ए(xv), B(iii), B(vi), B(v), B(xvi) तथा 5 का आंशिक पालन किया जाना बताया गया है।

इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये गये शर्तों का एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (विजय वेस्ट अंडरग्राउण्ड कोल माईन) को क्षमता विस्तार के तहत् पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये गये शर्तों का एक्शन टेकन रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vii. उद्योग परिसर के भीतर एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण में सदाबहार स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

viii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन को 6 माह के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

22. मेसर्स अरोरा छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2363)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/424794/2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/04/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/05/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल–5.13 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता – 35,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (2x7 टन + 1x8 टन) क्षमता 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल

क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर–2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 4.50 करोड़ है तथा क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग 5.50 करोड़ है। इस प्रकार परियोजना का कुल विनियोग रुपए 10 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयंत ऐरन, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर से स्टील इंगॉट्स (2 नग इण्डक्शन फर्नेस क्षमता 7 टन) 35,770 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु एवं एम.एस. रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 30/04/2025 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम कोरमी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चकरभाटा विमानपत्तन, बिलासपुर 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अरपा नदी 11.6 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 14/03/2005 के द्वारा प्लॉट नं. 22, क्षेत्रफल 12.68 एकड़ (5.13 हेक्टेयर) हेतु भूमि को लीज मेसर्स अरोरा (छत्तीसगढ़) इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर के नाम पर जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 13/03/2104 तक है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, वानिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11–23/2012/11/(6) दिनांक 16/04/2012 के द्वारा जिला–बिलासपुर, ग्राम सिल्पहरी एवं अन्य तीन ग्राम स्थित 605.95 एकड़ भूमि को सिल्पहरी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (In SQM)	Area (%)
1.	Construction area	9,805	19
2.	Open & Road area	24,962.15	48
3.	Green belt area	17,205	33
	Total	**51,972.15**	**100**

समिति का मत है कि अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	49,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scraps	12,400	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	600	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	59,900	Own Induction Furnace	-

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	35,700 TPA	59,900 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	32,000 TPA	59,900 TPA

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा त्रुटिवश ऑनलाईन आवेदन में 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष कोल गैसीफायर का उल्लेख हो गया है। जिसका स्थापना प्रस्तावित उद्योग में नहीं किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना

प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग 1,100 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल से मिल स्केल 500 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 600 टन प्रतिवर्ष एवं युज्ड ऑयल 1 टन प्रतिवर्ष ठोस के रूप में उत्पन्न होगी। मिल स्केल को पुनःउपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के माध्यम से की जाएगी। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

12. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रनऑफ अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 7 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. के 2 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.71 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,250 नग पौधें रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षो का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये जाने एवं वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

2. अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु की गई व्यवस्था के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रनऑफ अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 45 प्रतिशत क्षेत्र में हरित पट्टिका विकास हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2697, दिनांक 01/09/2023 द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार पूर्ण शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

2. अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

Land use	Existing Unit		Proposed Expansion	
	Area (m^2)	Area (%)	Area (m^2)	Area (%)
Building sheds area	8,010	15.61	8,155	15.89
Road/paved area	8,000	15.59	7,000	13.64
Green belt area	16,929	33	23,085	45
Open land area	16,711	32.57	11,410	22.24
Rain water reservoir	1,650	3.21	1,650	3.21
Total Area	**51,300**	**100**	**51,300**	**100**

3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसारः–

Name of Waste	Quantity (TPA)	Management
Mill Scale	500	Use in Process (again melt in Induction furnace)
End Cutting	600	Use in Process (again melt in Induction furnace)
Used Oil	1.0	Use as librication of rolling mill machines
Slag	1,100	Send to nearby bricks manufacturing unit and used for the road construction
Slag will be transported by tarpaulins covered trucks to nearby bricks manufacturing unit and road construction other waste will be utilized in house.		

4. वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9.8 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 4.8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। भू–जल की उपयोगिता (19 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 28/08/2026 तक के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

5. औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

6. वर्तमान में उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 23,151.06 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) एवं शेष वर्षा जल को तालाब में एकत्रित किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,354.8 घनमीटर है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

7. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 23,085 वर्गमीटर (45 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण (बड़, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,770

नग पौधों के लिए राशि 3,62,850 रूपये, खाद के लिए राशि 88,500 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,97,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,06,606 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
550	2%	11	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Nirman	11.02
			Total	**11.02**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 456 नग पौधों के लिए राशि 93,480 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,000 रूपये, खाद के लिए राशि 22,800 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 24,624 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,88,904 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,13,660 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिलपहरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 18/2, क्षेत्रफल 0.18 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. वर्तमान में सम्मति प्राप्त इकाईयों से उत्पादन की दशा में स्क्रबर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 6,978 किलोग्राम प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रस्तावित इकाईयों से उत्पादन की दशा में बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 4,186.8 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स अरोरा छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर स्थित क्षेत्रफल–5.13 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता – 35,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (2x7 टन + 1x8 टन) क्षमता 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित प्रकरण सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks-regarding" हेतु जारी ओ.एम. दिनांक 27/04/2018 के अनुसार निम्न प्रावधान है:–

(i) The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III Stage (3)(i)(b) of EIA Notification, 2006, to the projects or activities located within the industrial estates or parks, if applicable as under:

(a) Which were notified by the Central Government or the State/UT Governments, prior to the said Notification coming into force on 14th September, 2006

(b) Which obtain prior environmental clearances as mandated under the EIA Notification, 2006 [item 7(c) of the schedule to the said Notification].

(ii) The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III State (3)(i)(b) of the EIA Notification, 2006, is also applicable to the projects or activities (located within the industrial estates and parks), which were granted Terms of Reference (ToR/Standard ToR) prior to environmental clearances to such industrial estates/parks, subject to validity of the ToRs.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त ओ.एम./तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/12/2013 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार प्रस्तावित उत्पाद/उत्पादन क्षमता बी–2 श्रेणी के अतंर्गत आता है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 के अनुसार घोषित औद्योगिक क्षेत्र के भीतर बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगो को लोक सुनवाई से छुट दिये जाने का प्रावधान है।

प्रस्तावित परियोजना बी–2 श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 लागू नही होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई शर्ते यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/03/2024 को संपन्न 169वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक मेसर्स अरोरा छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. उद्योग परिसर के भीतर तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

   vi. उद्योग परिसर के भीतर एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण में सदाबहार स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण (End to end with proper drainage system) किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़